न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 39/2024

अनवान :

1. मैनादेवी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी नोरंगलाल जाति जाट निवासी डूंगराना हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी खिराज जाति जाट निवासी डूंगराना हाल राखी तहसील भादरा।
3. शारदा देवी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी दोलतराम जाति जाट निवासी डूंगराना हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. कृष्णा देवी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी गिरधारीलाल जाति जाट निवासी डूंगराना हाल बडबिराणा तहसील नोहर।
5. बाला पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी अमरजीत जाति जाट निवासी डूंगराना हाल बडबिराणा तहसील नोहर।

:— वादीगण

बनाम

1. खेतरपाल उर्फ खेतपाल पुत्र नेणूराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2. प्रतापसिंह पुत्र खेतपाल जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
3. रूलीचन्द पुत्र खेतपाल जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
4. अजयसिंह ताखर पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
5. विजयसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
6. विक्रमसिंह पुत्र रूलीचन्द } नाबालिगान जरिऐ माता मन्जु बाला पत्नी रूलीचन्द
7. हितेश कुमार पुत्र रूलीचन्द } जाति जाट निवासीगण डूंगराना तहसील भादरा।
8. गिरदावरी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी डूंगराना हाल राखी तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
10. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक।
11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री प्रभुराम गोदारा : **वादीगण**

वकील श्री संदीप गोदारा : **प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 ता 8**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 242/221 के ख0सं0 550 की 5.7670 है0, ख0सं0 560 की 6.9300 है0, ख0सं0 598 की 3.984 है0, ख0सं0 609 की 1.2640 है0 कुल 17.945 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 खेतपाल का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी प्रतापसिंह का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी रूलीचन्द का 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 452/92 के ख0सं0 559 की 7.3730 है0, ख0सं0 589 की 8.410 है0 कुल 15.7830 है0 में प्रतिवादी खेतरपाल के नाम 759/5261 हिस्सा वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जो वादीगण के दादा नेणूराम वल्द लालूराम से प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल को प्राप्त हुई थी जिसमें वादीगण का जन्म से हक निहित है। खेतरपाल के 6 पुत्रियां व 2 पुत्र है। वादभूमि में अकेले खेतरपाल का हिस्सा न होकर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2, 3 व 8 का 1/9 हिस्सा [illegible] बराबर खातेदार हक था लेकिन कर्ता खानदान होने के कारण भूमि खेतरपाल के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी [illegible] सिंह, विजयसिंह, विक्रमसिंह, हितेश कुमार वादीयान के भाई प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पुत्र है जो अक्सर [illegible] के पिता खेतरपाल के पास आते जाते रहते है। उक्त लोगों ने वादीगण के पिता खेतरपाल [illegible] विश्वासिक स[illegible] का दुरूपयोग कर वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि [illegible] हडप करने की मंशा से क[illegible] पूर्वक तरीके से खाता सं0 452/92 की 759/561 हिस्सा तथा खाता सं0 242/221 की 1/2 हिस्सा कृषि भूमि फर्जी दान पत्र करवा लिया। प्रतिवादी सं0 1 वृद्ध व बीमार व्यक्ति है जिसकी सोचने व समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 2 ता 7 ने इसी अवस्था का नाजायज फायदा उठाकर रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 242/221 की 17.945 है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का एक दान पत्र

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण अजयसिंह ताखर, विजयसिंह पुत्रान प्रतापसिंह, विक्रमसिंह, हितेश कुमार पुत्रान रूलीचन्द जरिऐ नाबालिग कुदरती बली माता मन्जु बाला पत्नी रूलीचन्द जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा के पक्ष में दिनांक 10.01.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 पृष्ठ संख्या 112 क्रम सं0 202403633100030 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं0 3 पृष्ठ संख्या 91 से 97 को अपने पक्ष में बहिस्सा बराबर पंजीवद्ध करवा लिया। इसी प्रकार रोही डूंगराना के खाता सं0 452/92 की 15.7830 है0 में प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल के नाम 759/5261 हिस्सा कृषि भूमि का दुसरा दान पत्र प्रतिवादीगण अजयसिंह ताखर, विजयसिंह पुत्रान प्रतापसिंह, विक्रमसिंह, हितेश कुमार पुत्रान रूलीचन्द जरिऐ नाबालिग कुदरती माता मन्जु बाला पत्नी रूलीचन्द जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा के पक्ष में दिनांक 10.01.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1 पृष्ठ संख्या 113 क्रम सं0 202403633100031 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं0 3 पृष्ठ संख्या 98 से 104 को अपने पक्ष में बहिस्सा बराबर पंजीबद्ध करवा लिया जो प्रारम्भ से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है। प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल को उक्त दोनों खातों की कृषि भूमि को दान पत्र लिखने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही था क्योंकि खेतरपाल के हिस्से में इतनी कृषि भूमि नहीं आती थी, नामान्तकरण एक फिस्कल इन्द्राज मात्र है जिससे किसी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादीगण को इस तथ्य का भली भांति ज्ञान था कि उक्त कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी हक हिस्सा है। दान पत्र दिनांक 10.01.2024 संदेहास्पद परिस्थितियों द्वारा आच्छादित है तथा वादीयान व उसकी बहनों के अधिकारों के मुकाबले प्रारम्भ से ही क्लेअदम, बेअसर, शुन्य एवं प्रभावहीन है। ऐसे गैरकानूनी दान पत्र से प्रतिवादी सं0 4 ता 6 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुए है और ना ही खेतरपाल ने उक्त लोगों को कब्जा दिया है। प्रतिवादीगण सं0 3 ता 7 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर पेंशन बढवाने की कहकर छुपे तौर पर करवाये गए नुमाईशी दान पत्र दिनांक 10.01.2024 शुरू से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है इसलिये दोनों दान पत्र को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित किया जावे। उक्त वादभूमि में वादीगण का भी जन्म से हक हिस्सा है। अतः प्रतिवादी सं. 1 खेतरपाल के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादीगण सिलोचना, मैनादेवी, शारदा देवी, कृष्णा देवी, बाला प्रत्येक को 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी खेतरपाल, प्रतिवादी प्रतापसिंह, प्रतिवादी रूलीचन्द, प्रतिवादीया गिरदावरी प्रत्येक को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 9 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 3, 10, 11 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में कृष्णादेवी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डूंगराना प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम डूंगराना खाता संख्या 242/221 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 2, जमाबंदी ग्राम डूंगराना खाता संख्या 452/92 सम्वत 2075–78 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही डूंगराना सम्वत 2043 प्रदर्श 4 व 5, दानपत्र दिनांक 10.01.2024 क्रमांक 202403633100030 व 202403633100031 प्रदर्श 6 व 7 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त वादभूमि में दान पत्र दिनांक 10.01.2024 को पंजीबद्ध करवा दिया था जो पैतृक सम्पति होने के कारण हम पक्षकारान के हितो के मुकाबले प्रारम्भ से ही शुन्य एवं प्रभावहीन है। उक्त दानपत्र शुन्य व प्रभावहीन होने का अंकन उप पंजीयक डूंगराना के रिकार्ड में पुस्तक सं0 1 पर दर्ज कराने के लिए पक्षकारान समहम व रजामंद है। उक्त दान पत्र के आधार पर गिफट गृहणकर्ता आइन्दा कोई हक व अधिकार क्लेम नहीं करेंगे ना ही इसका रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी हक दर्ज करायेगें। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाकर रोही मौजा डूगंराना के दोनों खाता सं0 452/92 तथा खाता सं0 242/221 में दर्ज भूमि जो पहले से ही प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल उर्फ खेतपाल के नाम [illegible] राजीनामा अनुसार प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल उर्फ खेतपाल के नाम यथावत रखी जावे तथा उपपंजीयक डूंगराना को डिक्री की कॉपी भिजवाई जाकर उप पंजीयक डूंगराना के रिकार्ड पुस्तक संख्या 1 में दोनों दान पत्र शुन्य का नोट लगाये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 7 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल उर्फ खेतपाल

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

के दो पुत्र प्रतापसिंह व रूलीचन्द तथा छह पुत्रियां गिरदावरी, सिलोचना, शारदा, मैना, कृष्णा, बाला के अलावा सदस्य प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वकील वादी द्वारा **2023(1) आरआरटी 372 (धनराज बनाम रतनकुमार) नजीर** प्रस्तुत की गई। दस्तावेजों के अवलोकन से उक्त भुमि पैतृक कृषि भुमि प्रतीत होती है। प्रस्तुत वाद कृषि भूमि में अधिकारों की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि उक्त पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वादीगण का उसमें जन्म से ही हक हिस्सा है। वाद में मुख्य अनुतोष अधिकारों की घोषणा है। दानपत्र दिनांक 10.01.2024 क्रमांक 202403633100030 व 202403633100031 को आरम्भ से ही प्रभावहीन मानते हुए वाद भूमि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 242/221 के ख0सं0 550 की 5.7670 है0, ख0सं0 560 की 6.9300 है0, ख0सं0 598 की 3.984 है0, ख0सं0 609 की 1.2640 है0 कुल 17.945 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 खेतपाल का 1/2 हिस्सा तथा रोही डूंगराना के खाता सं0 452/92 के ख0सं0 559 की 7.3730 है0, ख0सं0 589 की 8.410 है0 कुल 15.7830 है0 में प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल के नाम 759/5261 हिस्सा वादभूमि दर्ज है को मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल उर्फ खेतपाल के नाम यथावत रखी जाती है तथा उपपंजीयक डूंगराना को निर्णय की प्रति भिजवाई जाकर उप पंजीयक डूंगराना के रिकार्ड पुस्तक संख्या 1 में दोनों दान पत्रों में प्रभावहीन का नोट लगाये जाने हेतु आदेशित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि दानपत्र दिनांक 10.01.2024 क्रमांक 202403633100030 व 202403633100031 को आरम्भ से ही प्रभावहीन मानते हुए तथा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत **नजीर 2023(1) आरआरटी 372 (धनराज बनाम रतनकुमार)** व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय जसवंतसिंह बनाम राजस्व मण्डल के मध्यनजर स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वाद भूमि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0 242/221 के ख0सं0 550 की 5.7670 है0, ख0सं0 560 की 6.9300 है0, ख0सं0 598 की 3.984 है0, ख0सं0 609 की 1.2640 है0 कुल 17.945 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 खेतपाल का 1/2 हिस्सा तथा रोही डूंगराना के खाता सं0 452/92 के ख0सं0 559 की 7.3730 है0, ख0सं0 589 की 8.410 है0 कुल 15.7830 है0 में प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल के नाम 759/5261 हिस्सा वादभूमि दर्ज है को मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजों से पैतृक साबित होने पर प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल उर्फ खेतपाल के नाम यथावत रखी जाती है तथा उपपंजीयक डूंगराना को निर्णय की प्रति भिजवाई जाकर उप पंजीयक डूंगराना के रिकार्ड पुस्तक संख्या 1 में दोनों दान पत्रों में प्रभावहीन का नोट लगाये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

28-08-24
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(ओम प्रकाश चन्देलिया, RAS)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ओ0पी0 चन्देलिया

प्रकरण सं0 : 39/2024

अनवान :

1. मैनादेवी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी नोरंगलाल जाति जाट निवासी डूंगराना हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी खिराज जाति जाट निवासी डूंगराना हाल राखी तहसील भादरा।
3. शारदा देवी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी दोलतराम जाति जाट निवासी डूंगराना हाल ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. कृष्णा देवी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी गिरधारीलाल जाति जाट निवासी डूंगराना हाल बडबिराणा तहसील नोहर।
5. बाला पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी अमरजीत जाति जाट निवासी डूंगराना हाल बडबिराणा तहसील नोहर।

:– वादीगण

बनाम

1. खेतरपाल उर्फ खेतपाल पुत्र नेणूराम जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
2. प्रतापसिंह पुत्र खेतपाल जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
3. रूलीचन्द पुत्र खेतपाल जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
4. अजयसिंह ताखर पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
5. विजयसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
6. विक्रमसिंह पुत्र रूलीचन्द नाबालिग जरिऐ माता मन्जु बाला पत्नी रूलीचन्द जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
7. हितेश कुमार पुत्र रूलीचन्द नाबालिग जरिऐ माता मन्जु बाला पत्नी रूलीचन्द जाति जाट निवासी डूंगराना तहसील भादरा।
8. गिरदावरी पुत्री खेतरपाल उर्फ खेतपाल पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी डूंगराना हाल राखी तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
10. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक।
11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री प्रभुराम गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कार[illegible] राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि दानप[illegible] 10.01.202[illegible] 202403633100030 व 202403633100031 को आरम्भ से ही प्रभाव[illegible] [illegible] द्वारा प्रस्तुत नजीर 2023(1) आरआरटी 372 (धनराज बनाम रतनकुमार), माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय जसवंतसिंह बनाम राजस्व मण्डल के मध्यनजर स्वीकार किया जाता है उक्त दस्तावेज प्रारंभ से ही प्रभावहीन है। वाद भूमि रोही मौजा डूंगराना के खाता सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

242/221 के ख0सं0 550 की 5.7670 है0, ख0सं0 560 की 6.9300 है0, ख0सं0 598 की 3.984 है0, ख0सं0 609 की 1.2640 है0 कुल 17.945 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 खेतपाल का 1/2 हिस्सा तथा रोही डूंगराना के खाता सं0 452/92 के ख0सं0 559 की 7.3730 है0, ख0सं0 589 की 8.410 है0 कुल 15.7830 है0 में प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल के नाम 759/5261 हिस्सा वादभूमि दर्ज है को मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजों से पैतृक साबित होने पर प्रतिवादी सं0 1 खेतरपाल उर्फ खेतपाल के नाम यथावत रखी जाती है तथा उपपंजीयक डूंगराना को निर्णय की प्रति भिजवाई जाकर उप पंजीयक डूंगराना के रिकार्ड पुस्तक संख्या 1 में दोनों दान पत्रों में प्रभावहीन का नोट लगाये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28-08-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

28-08-24

(ओम प्रकाश चन्देलिया) RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner